119

संख्याः–346/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः 10 :अप्रैल, 2017**

विषयः–14वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2016–17 की कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में ग्राम पंचायतों हेतु कार्य निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की धनराशि **₹369200000.00 (₹छत्तीस करोड़ बयानब्बे लाख मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– संकमित की जा रही धनराशि का व्यय पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 60/XII (1)/2017–96(06)/2015 टी.सी.–II दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यविधि में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

4– 14वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत की गई धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:– (1) जल आपूर्ति (2) सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता (4) जल निकासी (5) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव (6) सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव।

5– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तैयार कराये जाएंगे जिसे जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6– निदेशक, पंचायतीराज द्वारा प्रदेश की उन ग्राम पंचायतों को जिनके द्वारा शर्तें पूरी की गई हो तत्काल धनराशि निर्गत करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, तथा प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही वित्तीय वर्ष 2017–18 की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक उपलब्ध कराने होंगे।

8– संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9–संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10–संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखानुदान–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–पंचायतीराज संस्थायें–198–ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निष्पादन अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या :–346/**XXVII (1)**/2015, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव/सचिव पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स, नई दिल्ली।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, बित्त आयोग निदेशालय, 223 विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary Finance (HOD) (2211)

आवंटन पत्र संख्या - ,

अलोटमेंट आई डी - H1704070109

अनुदान संख्या - 007

आवंटन पत्र दिनांक -10-Apr-2017

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपू 02 - पंचायती राज संस्थायें

198 - ग्राम पंचायतें

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

04 - केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निष्पादन अनुदान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	369200000	369200000
	0	**369200000**	**369200000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 369200000

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव,